सम्पादकीय

भारतीय राजनीति शोध पत्रिका के सुधी पाठकों,

इस पत्रिका के सम्पादक के रूप में यह प्रथम अंक है जिसमें मुझे अपने विचार आपके साथ बांटने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरी योजना प्रत्येक अंक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के किसी तात्कालिक ज्वलंत विषय पर अपनी टिप्पणी देने की है तब तक जब तक कोई अन्य ऐसा विषय न आ जाये तो कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो।

इस अंक में मैं अपने विचार 'सुशासन' पर व्यक्त करना चाहता हूँ जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा और जिसके बल पर लोकसभा में इस दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और नरेन्द्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने।

सुशासन कोई नया विचार नहीं है। प्राचीन भारत में 'राम राज्य' की परिकल्पना कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता में यह उपदेश कि प्रत्येक को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह क्या करें और क्या न करें तथा क्या करना आवश्यक है और क्या नहीं और इसी से सही मार्ग प्रशस्त होता है सही मार्ग ही 'धर्म' कहलाता है । यजुर्वेद में व्यक्त यह विचार कि शासक को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए । महाभारत में युधिष्ठिर का यह कहना कि सम्राट का यह पुनीत दायित्व है कि वह प्रजा को प्रसन्न रखे, मनुस्मृति में यह कथन कि सम्राट सामान्य व्यवस्था का रक्षक है और वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें तथा कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' जिसमें सुशासन के अन्तर्गत प्रजा का सुख, उसका कल्याण तथा उसे जो अच्छा लगे उसे प्राप्त करना आदि गुण आते है। परन्तु हमारा यह दुर्भाग्य है कि जब तक कोई विचार पश्चिम से न आ जाय हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते। 'सुशासन' के बारे में भी यही सत्य है।

सुशासन शब्द का प्रयोग शीतयुद्ध के काल की समाप्ति के पश्चात् 'तृतीय विश्व' के देशों को विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए प्रयोग किया गया। विश्व बैंक द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1989 में किया गया और उस समय इसके अन्तर्गत लोक अधिक्रमों को व्यवस्थापन, जवाबदेही, विकास का विधिक ढाँचा तथा सूचना और परिदर्शिता आते थे। 1992 के विश्व बैंक ने शासन का स्वरूप, देश द्वारा अपने आर्थिक और सामाजिक स्त्रोतों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है तथा अपने शासकीय कार्यों को करने की क्या क्षमता है, जैसे मानक स्थापित कर दिये।

भारत में सुशासन लाने के रास्ते में वर्तमान में कई अवरोध हैं। प्रथम, सरकारों का अस्थायित्व सुशासन स्थापित करने में सबसे बड़ी समस्या है। सौभाग्य से लगभग 16 वर्षों के बाद केन्द्र में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार का गठन हुआ है परन्तु अधिकांश राज्यों में मिली–जुली सरकारें है। मिली–जुली सरकारों की यह दुर्बलता होती है कि वह अपने की सत्ता में बनाये रखने के लिए अक्सर ऐसे निर्णय ले लेती है जो कि सुशासन ने भी प्रदान करें परन्तु उनके सहयोगियों को प्रसन्न रखती हैं। केन्द्र में पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह की सरकार इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा इसलिए है कि एक लम्बे समय तक ब्रिटेन के अधीन होने के कारण हमने स्वतंत्रता के बाद बिना अधिक विचार किये हुये संसदीय प्रणाली को अपना लिया। संसदीय व्यवस्था अनुशासित द्विदलीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। ब्रिटेन, जो कि इस व्यवस्था का जनक है, वहाँ भी इतिहास में ऐसे उदाहरण उत्पन्न हुए कि एक तीसरा दल भी उभर कर आने लगा और मिली–जुली सरकार भी निर्माण करना पड़ा। ऐसे में यदि संसदीय प्रणाली को चलाये रखना है तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जहाँ मिली–जुली सरकार हो वह कम से कम कुछ वर्ष तक अविश्वास के प्रस्ताव के प्रेरित होने के भय के बिना कार्य कर सके।

द्वितीय, चुनाव प्रणाली में सुधार भारत में सुशासन लाने के लिए दूसरा आवश्यक कार्य है। भारत में देखा यह गया है कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो जाते हैं जो कि बहुत कम मत प्राप्त कर पाते हैं। अतः चुनाव में नामाकंन पत्र जमा करने के लिए जो धरोहर राशि मांगी जाती है उसको इतना बढ़ा दिया जाय, ताकि ऐसे प्रत्याशी चुनाव में न खड़े हों जिनके जीतने की कोई आशा नहीं है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को मिलने वाले अनुदानों की पारदर्शिता और उन पर नियंत्रण भी आवश्यक है क्योंकि जब प्रत्याशी चुनाव में बहुत अधिक धन व्यय करेंगे तो वे विजयी होने के पश्चात् उसको अक्सर गलत तरीकों से वसूल करने का प्रयास भी करेंगे।

तृतीय, सुशासन लाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार बहुत आवश्यक है और इसके लिए नौकरशाही की प्रवृत्ति जो कि अब तक औपनिवेशिक रही है, में परिवर्तन आवश्यक है। साथ ही अत्यधिक पुराने नियमों और प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है। नौकरशाही रुकावट की अपेक्षा कार्य करने में सहायक होने का कार्य अधिक करें।

चतुर्थ, भारत की नौकरशाही के अन्तर्गत उत्तरदायित्व तथा तत्परता से काम करने की भावना अनुपस्थित है। उनका व्यवहार ऐसा हो गया है कि वे कोई सकारात्मक कार्य करते ही नहीं है और उनके अन्दर अच्छा करने की इच्छा समाप्त हो गयी है। अतः उनके प्रशिक्षण में ऐसे बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि वे जनता के हित में तेजी और क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

पंचम, भारत में न्यायपालिका संविधान की रक्षा एवं प्रशासन के अवैधानिक निर्णयों के विरुद्ध जनता की सुरक्षा का सबसे अच्छा साधन है। चूँकि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है अतः वह बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकती है। परन्तु स्वयं न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है, ताकि सामान्य नागरिकों को त्वरित तथा बिना अधिक व्यय किये न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही न्यायपालिका और उसके न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार तथा कदाचार के जो आरोप लगते रहते हैं उनके सम्बन्ध में भी न्यायपालिका को स्वयं अपनी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे न्यायधीशों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही हो जिससे वह अन्य न्यायाधीशों के लिए उदाहरण बन सके।

षष्ठम्, प्रशासन में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता लाना आवश्यक है। इनके लाने पर कार्य गति से होगा तथा सामान्य नागरिकों को यह ज्ञात हो सकेगा कि उनके लिए किये जाने वाले कार्यों में क्या प्रगति है।

सप्तम्, सुशासन के लिए सबसे बड़ा सुधार जनपद स्तर पर और वास्तव में विकास खण्ड तथा ग्राम स्तर पर प्रशासन में सुधार होना आवश्यक है, क्योंकि यही वह स्तर है जिसका सामान्य जनता से अधिक सम्बन्ध रहता है, उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर। इस बारे में सामान्य जन की यह माँग रही है कि विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये और उनकी समस्याओं का शीघ्र निवारण हो।

अष्टम्, यद्यपि 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सुशासन को अधिक लोकतंत्रीय बना दिया गया है तथा उन्हें अनेक नई शक्तियों के साथ वित्तीय क्षमता भी प्रदान कर दी गयी है, परन्तु वे अभी भी उस रूप में कार्य नहीं कर पा रही हैं जिस रूप में इन संशोधनों के द्वारा परिकल्पना की गयी थी।

नवम्, सुशासन लाने में विधि और व्यवस्था को बनाये रखना सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में हिंसात्मक घटनायें, हत्याऐं, अपहरण तथा जम्मू–कश्मीर में आतंकवादी घटनाऐं, उत्तर–पूर्व में अलगाववाद तथा अनेक राज्यों में माओवाद विधि और व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं।

दशम्, सुशासन के मार्ग में भारत की सबसे बडी समस्या भ्रष्टाचार है। भारत में सामान्य नागरिक को यह विश्वास हो चला है कि बिना कुछ लिये–दिये शासन में कोई कार्य नहीं हो पाता है और इसी कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में घोटाला, हवाला, गबन इत्यादि सामान्य रूप में पाया जाते हैं। केवल पारदर्शिता से ही इसमें सुधार नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए कठोर कानूनों तथा उनको कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त में से अनेक पर वर्तमान मोदी सरकार कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त, 2014 का देश को अपने सम्बोधन में यह कहा कि ''ना खाऊँगा, न खाने दूँगा''। साथ ही सरकार के द्वारा ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं को समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है जो या तो बहुत अधिक पुराने होने के कारण आज उनका कोई महत्व नहीं है अथवा जो तीव्र गति से प्रशासन करने में रुकावट बने हुये है। प्रधानमंत्री ने यह भी प्रयास किया है कि संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों पर न्यायपालिका द्वारा एक वर्ष में निर्णय ले लिया जाय।

ऐसी आशा की जाती है कि सरकार इसी प्रकार सुशासन के लिए नये–नये कार्य करती रहेगी।

(सी0पी0 बर्थवाल)